संशोधित डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

इलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

रामगोपाल पिता देवालाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
मु0 रामुदेवी पत्नि रामगोपाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
—— वादीगण

बनाम

1– रामगोपाल पिता बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
2– मु0 लाडु पुत्री बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां
—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–188 आर0टी0ए0**
मुकदमा नम्बर **233/2011 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2013 मे अंकित आराजी नम्बर 1460/1430 के स्थान पर 1460/2430 इन्द्राज के आदेश दिये जाते है शेष इन्द्राज यथावत रहेगे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 13 माह 06 सन् 2017** को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –		तारीख दायर	तारीख आदेश
232A/2017	प्रार्थना पत्र	13.06.2017	13.06.2017

1– रामगोपाल पिता देवालाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
2– मु0 रामुदेवी पत्नि रामगोपाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
—— प्रार्थीगण

बनाम

1– रामगोपाल पिता बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
2– मु0 लाडु पुत्री बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां
—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 एवं 153 जा0दी0

उपस्थित : श्री जयन्त ओझा – अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 एवं 153 जा0दी0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– प्रार्थीगणों ने ग्राम देवरिया मे सिथत उनकी कृषि भूमि जिनके आराजी नं0 एवं रकबा क्रमशः 1460, 1461, 1461/2429 तथा 1460/2430 रकबा क्रमशः 0.32 है0, 0.04 है0, 0.04 है0, 0.26 है0 कुल किता 4 रकबा 0.66 है0 है, के संबंध मे खातेदारी घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसके चरण संख्या 1 मे लिपिकीय त्रुटि से आ0न0 1460/2430 के बजाय 1460/1430 दर्ज हो गया। वाद पत्र की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 07.06.2013 को डिक्री बनाई गई जिसमें भी उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण आ0न0 1460/2430 के बजाय 1460/1430 दर्ज हो गया। इस प्रकार उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थीगणों को भारी कठिनाई हो रही है और डिक्री की पालना नही हो पा रही है। इसलिए वाद पत्र एवं क्रिी मे गलत दर्ज किये गये आराजी नम्बर 1460/1430 के स्थान पर 1460/2430 कराया जाना न्याय के लिए आवश्यक है। अतः उक्त वाद पत्र एवं डिक्री मे संशोधन फरमाते हुए आराजी नम्बर 1460/1430 के बजाय आ0न0 1460/2430 के रूप मे सुधार करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर मूल पत्रावली सीगे से तलब की जाकर मूल पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया। जिसमे प्रार्थीगण के वकील ने बताया कि मूल वाद के पेरा 1 के बिन्दु 4 पर आराजी संख्या 1460/1430 रकबा 0.26 है0 लिपिकी त्रुटि से टंकित हो गया जबकि राजस्व

हरियाणा हाई कोर्ट श्री जयसिंह बनाम सरदारसिंह धारा 152 सी0पी0सी0 का उद्धरण प्रस्तुत किया इसी प्रकार 2009 (2) सिविल कोर्ट केसेज 381 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया तिलकराज बनाम बाई कुन्तीदेवी धारार 152 सी0पी0सी0 व 2011 (3) सिविल कोर्ट केसेज 549 इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रदीप कपूर बनाम लक्ष्मीनारायण कपूर धारा 151, 152 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किये मेरे द्वारा इन उद्धरणों का भंली भांति अवलोकन किया गया। जिसमें यह तथ्य सामनें आये है कि किसी भी समय किसी भी स्थल पर किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है वो न्याय सिद्वान्तों के हितों को ध्यान मे रखते हुए शुद्वि की जा सकती है। वैसे भी मूल वाद का निर्णय पक्षकारान की आपसी सहमति से हुआ है जिससे विपक्षीगणों को किसी प्रकार का कोई एजराज नही है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र संख्या 233/2011 निर्णय दिनांक 07.06.2013 व डिक्री मे आंशिक संशोधन करते हुए मूल वाद के पेरा संख्या 1 के बिन्दु संख्या दर्ज मे दर्ज आराजी नम्बर 1460/1430 रकबा 0.26 है0 के स्थान पर मूल वाद मे लालस्याही से आराजी नम्बर 1460/2430 रकबा 0.26 है0 संशोधन किये जाने का आदेश दिये जाते है। तद्नुसार संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा